पत्रांक–13/यो० 02–01/2024......................../

बिहार सरकार,
शिक्षा विभाग।

प्रेषक,

अनिल कुमार,
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

सेवा में,

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता),
कैमूर, पूर्वी चम्पारण एवं पूर्णियाँ।

पटना, दिनांक–............................/

विषय :– वित्तीय वर्ष 2025–26 में महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना के तहत व्यय हेतु राशि की विमुक्ति के सम्बन्ध में।

महाशय,

वित्त विभाग के पत्र संख्या–12888/वि० दिनांक 03.12.2024 की कंडिका–05 (ख) (ii) एवं पत्र संख्या–1720/वि० दिनांक 08.03.2021 की कंडिका–02 में उल्लेखित प्रक्रियानुसार स्वीकृत्यादेश सं०–09 दिनांक–17.04.2025, स्वीकृत्यादेश सं०–35 दिनांक–19.05.2025 एवं स्वीकृत्यादेश सं०–155 दिनांक–06.08.2025 के तहत स्वीकृत राशि से जिला स्तर पर कुल–**7,70,53,483/– (सात करोड़ सत्तर लाख तिरपन हजार चार सौ तेरासी)** रुपये मात्र निम्नलिखित रूप में आवंटित की जाती है :–

क्र0 सं0	जिला का नाम	शिक्षा सेवकों की संख्या	शिक्षा सेवकों का माह जुलाई एवं अगस्त, 25 में व्यय होनेवाली राशि (5 प्रतिशत् वार्षिक वृद्धि सहित)	शिक्षा सेवकों के मानदेय भुगतान हेतु पूर्व मे आवंटित की गई राशि	शिक्षा सेवकों का माह अगस्त, 2025 तक का मानदेय की राशि	**कुल आवंटित की जानेवाली राशि**
1	2	3	4	5	6	7
5	कैमुर	293	14130283	646800	13483483	**13483483**
31	पू0 चम्पारण	1350	65488500	3118500	62370000	**62370000**
कुल			**79618783**	**3765300**	**75853483**	**75853483**

(सात करोड़ अन्ठावन लाख तिरपन हजार चार सौ तेरासी रु० मात्र)

राशि की निकासी एवं भुगतान सम्बन्धित जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में पदस्थापित जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) द्वारा उनके जिले के नाम के सामने अंकित राशि की निकासी CFMS प्रणाली के अन्तर्गत की जायेगी। **7,58,53,483/– (सात करोड़ अन्ठावन लाख तिरपन हजार चार सौ तेरासी) रुपये** का व्यय मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202–सामान्य शिक्षा, उप मुख्य शीर्ष, 04–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 789–अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना, उप शीर्ष 0101–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–21–2202047890101 के अन्तर्गत, विषय शीर्ष–0101.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन तथा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता), पूर्णियाँ को मृत शिक्षा सेवकों

के आश्रितों को अनुग्रह अनुदान की राशि के भुगतान हेतु **12,00,000/– (बारह लाख) रूपये** मांग संख्या–21, मुख्य शीर्ष 2202, सामान्य शिक्षा, उप मुख्यशीर्ष, 04–प्रौढ़ शिक्षा, लघु शीर्ष, 200–अन्य प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम, उप शीर्ष 0102–प्रौढ़ शिक्षा, विपत्र कोड–21–2202042000102 के अंतर्गत, विषय शीर्ष 0102.31.06 सहायक अनुदान–गैर वेतन से की जायेगी।

3. राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

4. इसकी सूचना सभी जिलों के सम्बन्धित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को भी दी जा रही है।

5. CFMS प्रणाली के अंतर्गत व्यय की गयी राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित करते हुये उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करा दी जाए।

6. उक्त राशि CFMS प्रणाली द्वारा सम्बन्धित जिले के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (साक्षरता) को आवंटन देने हेतु बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग को दी जा रही है।

अनु०:– विवरणी संलग्न।

विश्वासभाजन,
ह०/–

(अनिल कुमार)
विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक– पत्रांक–13/यो० 02–01/2024........................./ पटना, दिनांक............................./

प्रतिलिपि :– विवरणी की प्रति के साथ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/वित्त विभाग, बजट शाखा/बजट पदाधिकारी, शिक्षा विभाग/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सहायक निदेशक, (लेखा)–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, जन शिक्षा/योजना शाखा एवं बजट शाखा, शिक्षा विभाग/लेखापाल, जन शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह०/–

विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।

ज्ञापांक– पत्रांक–13/यो० 02–01/2024 795 / पटना, दिनांक 22/08/25

प्रतिलिपि :– आई० टी० मैनेजर, शिक्षा विभाग को इस निदेश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त सभी को ईमेल से भेजना सुनिश्चित करें।

विशेष सचिव–सह–निदेशक, जन शिक्षा।